दिनांक 31.07.2012 को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला चयन समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में निलम्बित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निलम्बन से मुक्त करने हेतु सम्पन्न जिला चयन समिति की बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- निलंबित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को निलंबन से मुक्त करने हेतु आहूत जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुए :-

1. जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. अपर समाहर्त्ता, मुंगेर।
3. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
4. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर।
7. जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर।
8. सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर।

सर्व प्रथम उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी यथा संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अभिलेख/अनुशंसा पर विचार किया गया। तत्पश्चात निलंबित जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं को निलंबन से मुक्त करने संबंधी एक मात्र मामला के प्राप्त अभिलेख पर विचार करते हुए सर्व सम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किया गया।

(1) सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार,पटना के ज्ञापांक 601 दिनांक 15.02.07 द्वारा प्रचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2010 एवं प्रधान सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिभाग बिहार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक 5738 दिनांक 23.06.11 द्वारा प्रचालित सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश 2011 में वर्णित दिशा-निर्देशों के आलोक में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर जिला चयन समिति के द्वारा निम्न जन वितरण प्रणाली बिक्रेता को निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

क्र0	निलंबित ज0वि0प्र0 विक्रेता का नाम/पता/अनुज्ञप्ति संख्या	निलंबन की तिथि	निलंबन का कारण	अनुज्ञापन पदा0 के पत्रांक/दिनांक जिसके द्वारा अनुशंसा प्राप्त है	संबंधित अनुमंडल पदा0 का नाम	समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री राजकिशोर यादव, ग्रामपंचायत-सजूआ, प्रखंड असरगंज, जिला मुंगेर अनुज्ञप्ति सं0-119/08	06.05.2009	1. खाद्यान्न की कालाबाजारी करने के कारण।	1251/27.07.2012	तारापुर, मुंगेर	असरगंज थाना काण्ड संख्या-26/2009 के आलोक में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी व्यवहार न्यायलय मुंगेर के विचारण वाद संख्या-3509/2012 में दिनांक-21.03.2012 को माननीय अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर द्वारा नामित अभियुक्त (ज0वि0प्र0 विक्रेता) श्री राजकिशोर यादव एवं अन्य के विरूद्ध आरोपित अपराध से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है। तदनुसार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।	

E:\Supply Office Munger\Manoj Kr\File=1-03(2012) Chayan Samiti PACS\Chayan Samiti Nilamban Procoding=13-08-2012.doc

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 649 /जि0आ0, दिनांक 21/08/2012

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी (मुंगेर जिला) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला स्तरीय चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

18/08/12

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।

ज्ञापांक 649 /जि0आ0, दिनांक 21/08/2012

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदधिकारी (NIC) मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/08/12

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
जिला स्तरीय चयन समिति, मुंगेर।

14.8.12 16/8